न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3579–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–08–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 155/अ–6/09–10.

1– श्रीमती प्रमिला बाई विधवा स्व. श्री इन्दल सिंह
2– श्याम सिंह
3– महेश सिंह
4– देवेन्द्र सिंह
02 से 04 के पिता स्व. श्री इन्दल सिंह सनोडिया
सभी निवासी वार्ड नंबर 19,
जिला बालाघाट ---- आवेदकगण

विरूद्ध

1– महेन्द्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
2– श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी मोहनसिंह
दोनां निवासी पैरकी पारा (कामली)
जिला नागपुर महाराष्ट्र ---- अनावेदकगण

श्री शशांक त्रिपेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22– 12 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आुयक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 155/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 29–8–12 के विरूद्ध

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 110 सहपठित धारा 32 के तहत नजूल अधिकारी बालाघाट के यहां नगर बालाघाट की शीट कमांक 25 डी प्लाट नंबर 9 रकबा 251 वर्गमीटर भूमि पर से राजस्व प्रकरण कमांक 22/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक 26–7–2006 को पुनः खोला जाकर विवादित भूमि पर से अनावेदकों का नाम राजस्व अभिलेख से काटने एवं विलुप्त करने बावत पेश किया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 10–7–2007 द्वारा नजूल अधिकारी ने पूर्व के 26–7–06 के आदेश में कोई संवैधानिक त्रुटि नहीं पाए जाने के कारण आवेदकों का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अपर कलेक्ट, बालाघाट ने आदेश दिनांक11–3–10 द्वारा एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि आवेदक के पूर्वज इन्दल सिंह एवं अनावेदक के पूर्वज लक्ष्मण सिंह की पैत्रिक भूमि एवं संपत्ति थी । कलेक्टर बालाघाट के आदेश दिनांक 14–6–89 द्वारा उक्त भूमि का निर्धारण कर लक्ष्मण सिंह एवं इंदलसिंह के पक्ष में स्वत्व प्रदान किया गया था । उक्त आदेश को आवेदक या उनके पूर्वाधिकारी इन्दल सिंह द्वारा चुनौती दी गई थी यह आवेदक अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर सके ना ही अभिलेख में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न है जिससे यह प्रकट होता हो कि उनके द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील आदि की गई हो । नजूल अधिकारी द्वारा मृतक लक्ष्मण सिंह के स्थान पर अनावेदकगण जो कि उनके

उत्तराधिकारी हैं, का नाम दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा की गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह अभिलेख के अनुसार उचित, न्यायिक और समतामय होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर